

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

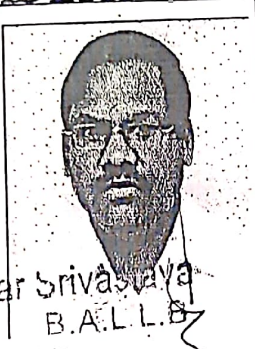
RS. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



Sanjay Kumar Srivastava
B.A.L.L.B.



Deed Writer
Mob. 9415403670



Sanjay Kumar



Deed Writer
Mob. 9415403670

A.A. 934149

4 AUG 2018

राजन एजुकेशन ट्रस्ट
न्यास विलेख (DEED OF TRUST)

यह न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) महामानव भगवान गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन से प्रभावित स्व० राम सरन चौहान के सम्मान में इनके यशस्वी सुपुत्र श्री राजन चौहान के नाम पर दिनांक 07.09.2018 को श्रीमती पुष्पावती देवी चौहान (उर्फ पुष्पलता सिंह) पत्नी श्री राम जगदीश चौहान (उर्फ श्री राजन चौहान) निवासी 628-स 73ग-2 एवं ग-9 शक्ति नगर फैजाबाद रोड (रजत बाल विद्या मंदिर गर्ल्स इण्टर कॉलेज/रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज) इन्दिरा नगर लखनऊ को बहैसियत संस्थापक/चैयरमैन ट्रस्टी राजन एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा निष्पादित किया गया है।

Dr. R. J. Singh Chauhan
(Founder Manager)

Rajit Public School
Syidpur Bhitari, Zafarganj, Ambedkar Nagar U.P.

Rajat Singh Sir



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India



E-Aadhaar Letter

नामांकन क्रमांक/Enrolment No.: 1425/12101/00034

Pushpa Lata Singh (पुष्पा लता सिंह)

W/O Ram Jagdish Singh Chauhan, 628-S-73, G-2,
Faizabad Road, Near Rajat Girls College, Shakti
Nagar, Indira Nagar, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226016

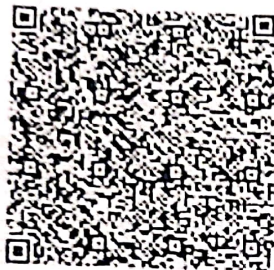
गुणवत्ता

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रामाणिकता द्वारा प्राप्त करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.

8769 9452 7259



आधार-आम आदमी का अधिकार



1800 309 1847



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

Digitally signed by Sandeep Bhargava
Date: 2015.05.18 07:14 IST

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार के लिए आपको एक ही बार नामांकन दर्ज करवाने की आवश्यकता है।
- कृपया अपना नवीनतम मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पता दर्ज कराएं। इससे आपको विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने में सहायित होगी।

- Aadhaar is valid throughout the country.
- You need to enrol only once for Aadhaar.
- Please update your mobile number and e-mail address. This will help you to avail various services in future.



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



पुष्पा लता सिंह

Pushpa Lata Singh

जन्म तिथि/DOB: 17/01/1970

महिला / FEMALE

[Signature]



8769 9452 7259

पता:

Address:

अधीगिनी: राम जगदीश सिंह
चौहान, 628-एम-73, जी-2,
फैजाबाद रोड, रजत गर्ल्स
कॉलेज के पास, शक्ति नगर,
इंदिरा नगर, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226016

W/O Ram Jagdish Singh Chauhan,
628-S-73, G-2 Faizabad Road, Near
Rajat Girls College, Shakti Nagar,
Indira Nagar, Lucknow
Uttar Pradesh - 226016

8769 9452 7259

आधार-आम आदमी का अधिकार

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



राम जगदीश सिंह चौहान
Ram Jagdish Singh Chauhan
जन्म तिथि/DOB: 01/07/1968
पुरुष / MALE



7909 3786 7561

आधार-आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:

आत्मज, राम सरन चौहान,
628-एस-73, जी-2,
फैजाबाद रोड, रजत गर्ल्स
कॉलेज के पास, शक्ति नगर,
इंदिरा नगर, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226016

Address:

S/O: Ram Saran Chauhan, 628-S-73,
G-2, Faizabad Road, Near Rajat Girls
College, Shakti Nagar, Indira Nagar,
Lucknow,
Uttar Pradesh - 226016

7909 3786 7561

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

Handwritten signature
9415002312



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India



E-Aadhaar Letter

नामांकन क्रमांक/Enrolment No: 1425/12101/00027

Date: 16/05/2015

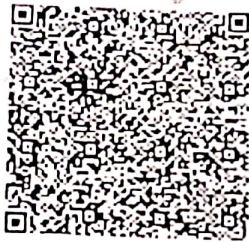
Rajat Rajan Singh (राजत राजन सिंह)
S/O Ram Jagdish Singh, 628, S-73, G-2, Faizabad
Road, Rajat Degree College, Shakti Nagar, Indira
Nagar, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226016

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन अथॉरिजेशन द्वारा प्राप्त करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

आपका आधार क्रमांक/Your Aadhaar No.:

7480 5187 5158



INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.

आधार-आम आदमी का अधिकार



1800 300 1027



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Bhardwaj
Date: 2015.05.16 15:14:15 IST

- आधार देश भर में मान्य है.
- आधार के लिए आपको एक ही बार नामांकन दर्ज करवाने की आवश्यकता है.
- कृपया अपना नवीनतम मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पता दर्ज करवाएं, इससे आपको विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने में सहायक होगी.

- Aadhaar is valid throughout the country.
- You need to enrol only once for Aadhaar.
- Please update your mobile number and e-mail address. This will help you to avail various services in future.



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



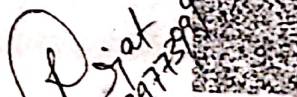
राजत राजन सिंह
Rajat Rajan Singh
जन्म तिथि/DOB: 20/11/1991
पुरुष / MALE

पता:

आत्मज: राम जगदीश सिंह,
628, एम-73, जी-2,
फैजाबाद रोड, राजत डिग्री
कॉलेज, शक्ति नगर, इंदिरा
नगर, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226016

Address:

S/O Ram Jagdish Singh, 628, S-73, G-2, Faizabad Road, Rajat Degree College, Shakti Nagar, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226016



7480 5187 5158

7480 5187 5158

आधार-आम आदमी का अधिकार

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar



भारत सरकार
राष्ट्रीय जनगणना आयोग



राशिका राजन सिंह
Rashika Rajan Singh
जन्म तिथि DOB: 18/08/1999
प्राथमिक / FEMALE



4853 4606 9362

आधार - आम आदमी का अधिकार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

ट्रस्ट का नाम - राजन एजुकेशन ट्रस्ट
न्यास ट्रस्ट का पंजीकरण पता - 628-स 73ग-2 एवं ग-9
शक्ति नगर फैजाबाद रोड (रजत बाल विद्या मंदिर गर्ल्स इण्टर
कॉलेज/रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज) इन्दिरा नगर लखनऊ
न्यास ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय - 628-स 73ग-2 एवं
ग-9 शक्ति नगर फैजाबाद रोड (रजत बाल विद्या मंदिर गर्ल्स
इण्टर कॉलेज/रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज) इन्दिरा नगर लखनऊ
न्यास ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण विश्व
न्यास का वर्ग - शैक्षणिक/धर्मार्थ (चैरिटेबल)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

पचास

रुपय

₹. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA

NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 669355

(3)

न्यास/ट्रस्ट का उद्देश्य-

1. महामानव भगवान गौतम बुद्ध मां सावित्री बाई फुले राजवैध जीवक व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिद्धान्तो, विचारो एवं दर्शन का प्रचार-प्रसार करते हुए करुणा, मैत्री एवं एकता की भावना पैदा करते हुए वैज्ञानिक समाज की स्थापना करना।

2. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को मद्देनजर रखते हुए युवा वर्ग में सांप्रदायिक सदभाव हेतु सभायें, सेमीनार बैठके तथा बुक्कड़ सभाओं का आयोजन करना।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Rajendra Rajan Sir



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH.

EG 084172

14 AUG 1991

(4)

3. विभिन्न वर्गों से उपेक्षित छात्र छात्राओं के चौमुखी विकास व्यवसायिक व गैर व्यवसायिक शिक्षा दिलाने हेतु प्राइवेट ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी (**Private Autonomous University**) मेडिकल कालेज डिग्री कालेज व विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना।
4. न्यास के अन्तर्गत बनने (खुलने) वाले शिक्षण संस्थान अपने नियम व कानून बनाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे लेकिन उनका संचालन न्यास से ही होगा।
5. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

[Signature]

[Signature]

Rajat Kumar Bajaj Singh

6. विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

7. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे। और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

8. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

9. संस्था के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

11. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

12. विश्व शान्ति स्थापना हेतु समय-समय पर सभायें, गोष्ठियां राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय कैम्पों का आयोजन करना।

13. विश्व बन्धुता एवं जातीय व वर्गविहीन एक विज्ञानवादी समाज की स्थापना हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक तकनीकी गुणों व पर्यावरण सुरक्षा हेतु विचार आदान प्रदान करने के लिए शिवरो का आयोजन करना।

14. प्रतिभावन छात्र छात्राओं को आधुनिक तकनीकी भाषा संस्कृति व इतिहास की जानकारी करने हेतु देश विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना तथा शान्ती के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित लोगो को समय-समय पर सम्मानित करना।




Rajat Kishore Rajan Singh

15. पाली, प्राकृत, संस्कृत भाषा तकनीकी स्वास्थ्य एवं बौद्ध साहित्य के प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन व प्रिंटिंग प्रेस लगवाना।

16. बौद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु लोगों में अभिरुचि पैदा करना तथा उनमें सच्चे सामाजिक संस्कार डालना तथा उनके ज्ञानवृद्धि हेतु पुस्तकालयों की स्थापना करना। आवश्यक क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमों को चलाकर बच्चे एवं लोगो को साक्षर करना।

17. प्राणी मात्र के कल्याण हेतु निःशुल्क चिकित्सालयों, अनाथालयों संरक्षण गृह, सामुदायिक भवन, विपश्यना केन्द्र एवं बुद्ध विहारो का निर्माण करना व उनका संचालन करना।

18. देश विदेश की धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक उपलब्धियों को अवगत कराने हेतु विशेषकर बौद्ध तीर्थस्थलो पर भ्रमण पर्यटन की व्यवस्था करना तथा राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेकर नई तकनीकी एवं विकास नीतियों की सम्पूर्ण जन समुदाय को जानकारी उपलब्ध कराना।

19. बेघर बेचारी एवं असहाय महिलाओं को विधि सहायता न्याय एवं अधिकार दिलाने तथा उन्हें दस्तकार बनाकर सम्मानजनक जीवन यापन करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना महिलाओं के पूर्ण विकास एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने हेतु महिला संगठनों की स्थापना करवाना।

20. शहरी एवं ग्रामीणी क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओ एवं लोगो के सम्पूर्ण विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम बोर्ड एवं सम्बन्धित विभागों से सहयोग से चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं द्वारा आत्मनिर्भर बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई बुनाई हस्तशिल्प कला दरी कालीन पेंटिंग टंकण कम्प्यूटर ब्यूटीशियन टी० वी० व रेडियो रिपेयरिंग आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना।

21. निर्धन एवं कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु केन्द्रीय एवं 30 प्र० खादी गामोद्योग बोर्ड/आयोग आदि के वित्तीय सहयोग/ऋण से ग्रामोद्योग की स्थापना करना चलाना एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन करना एवं उसकी बिक्री करना। प्राप्त आय को न्यास के हितार्थ व्यय करना।

P. J. at faruk lajan sim

22. देश के निर्धन, अनाथ असहाय, बेघर विकलांग अन्धे गुंगे बहरे पिछड़े दलित एवं अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओं के संवागीण विकास हेतु शिक्षण संस्थानों प्रशिक्षण केन्द्रों तथा छात्रावासों की स्थापना करना तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से सम्बन्धित विभागों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय यूनिसेफ महिला एवं बाल विकास विभाग कपार्ट नाबार्ड बाल विकास पुष्ठाहार युनेस्को महिला कल्याण विभाग, हस्तशिल्प वस्तु मंत्रालय केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड आदि के वित्तीय सहयोग से चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रम को चलाकर लाभान्वित करने का प्रयास करना।

23. निर्धन एवं असहाय छात्र छात्राओं एवं लोगों को शिक्षा द्वारा प्रशिक्षित करना एवं उनके लिए निशुल्क दैनिक अभ्यास पुस्तिकाओं एवं पुस्तकों का मुद्रण प्रकाशन व वितरण करना। निशुल्क कोचिंग छात्रावासों की व्यवस्था करना सामाजिक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अयोजन करना एवं उनके शारिरिक विकास हेतु खेल कूद व्यायाम आदि का प्रबन्ध करना।

24. इलेक्ट्रानिक्स तकनीकी पाठ्यक्रमों के सैद्धान्तिक प्रयोगात्मक क्रियात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक से स्नातकोत्तर तक हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना व संचालन करना।

25. बेरोजगारी दूर करने हेतु युवक युवतियों की तकनीकी कार्य सिखाना एवं लघु कुटीर उद्योगों को लगाने हेतु उचित परामर्श सहयोग तथा प्रोत्साहन करना।

26. छात्रों की वृत्तियों अनुवृत्तियों पुरस्कार व उपहार प्रदान करना। उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियों प्रदान करना।

27. गांवों एवं शहरों के युवा वर्ग को रोजगार के प्रति प्रेरित करना, गांवों में डेयरी फेडरेशन प्रशिक्षण केन्द्र एवं उससे सम्बन्धित केन्द्रों की स्थापना करना।

28. पर्यावरण प्रदूषण निवारण हेतु सामाजिक वानिकी हरित क्रान्ति को अधिक प्रभावी बनाने हेतु पौधों की नर्सरी वृक्षारोपण कराना व शहरों में इंसीनेजटर लगवाना।

Deel

Prat

Perik Rajan Singh

29. देश की एकता अखण्डता एवं मानवीय सदभावना के कार्यक्रमों का आयोजन व प्रचार के माध्यम से जन में देश प्रेम की भावना जागृत करके आपस में भाई चारे की भावना जागृत करना।

30. दैवी प्राकृतिक प्रकोप जैसे महामारी हैजा बाढ़ अग्निकांड में यथा योग्य सेवा सहायता तथा दवाईयों का उचित प्रबन्ध करना एवं सचल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना।

31. मानव उत्थान एवं कल्याण हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन, केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकारों एवं राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय समाज कल्याण संस्थाओं को सहायता देना एवं प्राप्त करना।

32. मानव मात्र के लिए जगह-जगह चिकित्सालयों दवाखानों अस्पतालों नर्सिंग होम्स की स्थापना करना तथा अनुभवी बेरोजगारी डाक्टरों नर्सों कम्पाउण्डरों इत्यादी को रोजगार दिलाने में सहायक होगा।

33. मादक पदार्थों (नारकोटिक्स एवं ड्रग्स) की लत की रोकथाम हेतु निवारण केन्द्र स्थापित करना एवं एड्स जैसी भयंकर बीमारी रोकने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोलना तथा लोगों को सचेत करने सम्बन्धी उपाय बताना।

34. प्राचीन धार्मिक स्थलों पुरावशेष एवं भवनों का जीर्णोद्धार करना प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में लगाव रखने वाले परिवारों का उत्थान करना हस्तशिल्पियों का विकास एवं धार्मिक स्थलों की स्थापना करना तथा उनका संचालन एवं सहायता करना।

35. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ की दृष्टि से ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा।

36. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु की व्यय करेगा।

37. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा पूर्व में संचालित सोसाइटी क्रमशः कमैटी आफ राजन कोचिंग इन्सटीट्यूट शक्ति नगर फैजाबाद रोड लखनऊ एवं राजन महिला ग्रामीण उत्थान एवं




farukh farukh

समोत्थान सेवा संस्थान शक्ति नगर लखनऊ का पूर्ण रूप से विलय आज कि तिथि से इस ट्रस्ट (राजन एजुकेशन ट्रस्ट) में की जाती है।

38. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा संचालित विद्यालयों/महाविद्यालयों का संचालन आज कि तिथि से इस ट्रस्ट (राजन एजुकेशन ट्रस्ट) के द्वारा किया जायेगा।

39. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालयों की समितियां इस ट्रस्ट (राजन एजुकेशन ट्रस्ट) में संलग्न मानी जायेगी।

न्यासियों का बोर्ड (बोर्ड आफ ट्रस्टीज)

1. संस्थापक/चेयरमैन ट्रस्टी
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष
3. कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी
4. संरक्षक न्यासी/पैट्रन ट्रस्टी
5. सलाहकार सदस्य/एडवार्डिजर ट्रस्टी

1. संस्थापक/चेयरमैन ट्रस्टी :- श्रीमती पुष्पावती देवी चौहान (उर्फ पुष्पलता सिंह) न्यास (ट्रस्ट) की चेयरमैन ट्रस्टी होगी जो आजीवन बनी रहेगी। निवासी 628-स 73ग-2 एवं ग-9 शक्ति नगर फैजाबाद रोड (रजत बाल विद्या मंदिर गर्ल्स इण्टर कॉलेज/रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज) इन्दिरा नगर लखनऊ

2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष - श्री राम जगदीश चौहान (उर्फ श्री राजन चौहान) पुत्र स्व० राम स्वरूप चौहान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष होंगे जो आजीवन बने रहेंगे। निवासी 628-स 73ग-2 एवं ग-9 शक्ति नगर फैजाबाद रोड (रजत बाल विद्या मंदिर गर्ल्स इण्टर कॉलेज/रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज) इन्दिरा नगर लखनऊ





Rajan Chauhan

3. कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी - रजत राजन सिंह पुत्र श्री राम जगदीश चौहान कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी होंगे जो आजीवन बने रहेंगे। निवासी 628-स 73ग-2 एवं ग-9 शक्ति नगर फैजाबाद रोड (रजत बाल विद्या मंदिर गर्ल्स इण्टर कॉलेज/रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज) इन्दिरा नगर लखनऊ

4 संरक्षक न्यासी/पैट्रन ट्रस्टी - श्रीराम आशीष चौहान पुत्र श्री राम नयन चौहान, श्री अशोक कुमार चौहान पुत्र श्री राम नयन चौहान निवासी ग्राम कजरी नन्दापुर जनपद अम्बेडकर नगर।

5. सलाहकार सदस्य/एडवाइजर ट्रस्टी- कु0 रासिका राजन सिंह कु0 रक्षिता राजन सिंह, कु0 रोहिता राजन सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट गोइला सिंहपुर जनपद अम्बेडकर नगर एव हाल निवासी 628-स 73ग-2 एवं ग-9 शक्ति नगर फैजाबाद रोड (रजत बाल विद्या मंदिर गर्ल्स इण्टर कॉलेज/रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज) इन्दिरा नगर लखनऊ होंगे जो आजीवन बने रहेंगे।

प्रबन्धकारिणी समिति के न्यासियों के अधिकार-

संस्थापक/चेयरमैन ट्रस्टी- श्रीमती पुष्पावती देवी चौहान (उर्फ पुष्पलता सिंह) आजीवन।

1. समस्त प्रकार की बैठको की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
3. बैठको के लिए तिथियों का अनुमोदन, परिवर्तन एवं परिवर्तन तथा बैठको को स्थगित करना।

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष- श्रीराम जगदीश चौहान (उर्फ राजन चौहान) आजीवन।

1. न्यास के कार्य कलापों पर नियंत्रण रखते हुए हुए आवश्यक कार्यवाही करना।
2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य कोई भी कार्य करना।
3. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक धन अपने पास रखना व व्यय कराना।

राजनी

4. सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों व व्यक्तियों से दान व अनुदान प्राप्त कराना तथा न्यास की सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।

5. प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रकरण में मैनेजिंग ट्रस्टी का मत/निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

6. बैंको में खाता खोलना प्राप्त धन को जमा करना व निकालना तथा उसके व्यय की उचित व्यवस्था करना।

7. न्यास के कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश निलम्बन तथा बहाली आदि का कार्य करना।

8. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा सेवा नियमावली बनाना।

9. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा पूर्व में संचालित सोसाइटी क्रमशः कमैटी आफ राजन कोचिंग इन्स्टीट्यूट शक्ति नगर फैजाबाद रोड लखनऊ एवं राजन महिला ग्रामीण उत्थान एवं समोत्थान सेवा संस्थान शक्ति नगर लखनऊ का पूर्ण रूप से विलय आज कि तिथि से इस ट्रस्ट (राजन एजुकेशन ट्रस्ट) में की जाती है।

10. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा संचालित विद्यालयों/महाविद्यालयों का संचालन आज कि तिथि से इस ट्रस्ट (राजन एजुकेशन ट्रस्ट) के द्वारा किया जायेगा।

कोषाध्यक्ष- रजत राजन सिंह (आजीवन)

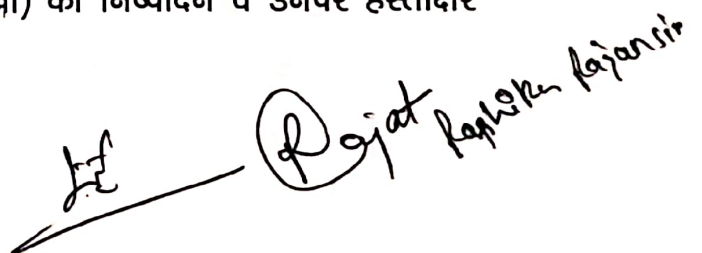
1. न्यास की ओर से पत्र व्यवहार करना।

2. बैठको की कार्यवाही लिखना व सुनना।

3. बैठको हेतु विधि समय व स्थान निर्धारित करना एवं उसकी सूचना देना।

4. वार्षिक बजट तैयार करना।

5. राजकीय सहायता, अनुदान, ग्रांट, दान प्राप्त करना एवं सम्बन्धित डाकुमेण्ट (अभिलेखों) का निष्पादन व उनपर हस्ताक्षर करना।

6. आय व्यय का हिसाब रखना, आवश्यक रसीदे प्राप्त करना।
7. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चेयरमैन/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दिये गये दायित्वों का अनुपालन करना।

संरक्षक न्यासी/पैटर्न ट्रस्टी- न्यासियों के बोर्ड के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह 5 संरक्षक न्यासियों को नामित कर सकता है जिन्हें कि न्यासियों के बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। जिनका एक संरक्षण मण्डल होगा जिसमें एक मुख्य संरक्षण एवं अधिकतम 4 संरक्षक न्यासी होंगे। सम्प्रति श्री राम आशंश चौहान व श्री अशोक कुमार चौहान मुख्य संरक्षक न्यासी है जो आजीवन रहेंगे।

सलाहकार सदस्य/एडवाइजर मेम्बर- ऐसे सदस्यों की नियुक्ति न्यासियों द्वारा समय समय पर की जायेगी। सम्प्रति कु0 रासिका राजन सिंह, कु0 रक्षिता राजन सिंह, कु0 रोहिता राजन सिंह जो आजीवन सलाहकार सदस्य बने रहेंगे।

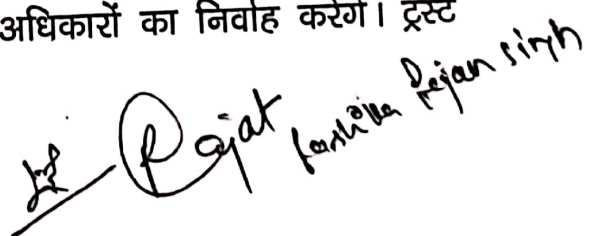
न्यास (ट्रस्ट) का प्रबन्धन- न्यास के समस्त प्रबन्धकीय कार्य न्यासियों के बोर्ड की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा।
न्यास/ट्रस्ट की सदस्यता एवं उसके वर्ग-

1. **संस्थापक/चेयरमैन ट्रस्टी-** श्रीमती पुष्पावती देवी चौहान (उर्फ पुष्पलता सिंह) ने इस न्यास की स्थापना किया है एवं 10,000/- रुपया (रुपया दस हजार रुपया) का सहयोग दिया है। इसलिए वे संस्था के आजीवन संस्थापक/चेयरमैन ट्रस्टी रहेगी।

2. **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष-** श्री राम जगदीश चौहान (उर्फ श्री राजन चौहान) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष आजीवन रहेंगे व ट्रस्ट के संचालन में मुख्य भूमिका में रहेंगे।

3. **कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी-** श्री रजत राजन सिंह पुत्र श्री राम जगदीश चौहान, कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी आजीवन रहेंगे व न्यास की पूर्ति के लिए प्राप्त अधिकारों का निर्वाह करेंगे।

4. **संरक्षक न्यासी/पैटर्न न्यासी-** श्री राम आशीष चौहान व श्री अशोक चौहान संरक्षक न्यासी/पैटर्न न्यासी आजीवन रहेंगे। व न्यास की पूर्ति के लिए प्राप्त अधिकारों का निर्वाह करेंगे। ट्रस्ट में आस्था रखने वाले।

5. सलाहकार सदस्य/एडवाइजर मेम्बर- कु0 रासिका राजन सिंह, कु0 रक्षिता राजन सिंह व कु0 रोहिता राजन सिंह सलाहकार सदस्य/एडवाइजर मेम्बर आजीवन रहेंगे व न्यास की पूर्ति के लिए अपने अन्य सदस्यों के साथ मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के आग्रह पर सलाह देते रहेगे।

न्यासियों के बोर्ड के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. न्यास के कार्य कलापों के सम्पादन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करना। उन्हे वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधायें प्रदान करना।

2. समस्त शक्तियां न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति/संस्थापक न्यासियों में निहित होगी।

3. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य कार्य करना।

4. न्यास के नियमों में आवश्यक संशोधन करना।

5. आय व्यय की स्वीकृति देना।

6. न्यास के विकास हेतु धन की व्यवस्था करना।

7. न्यास के सदस्यों (न्यासियों) की सदस्या स्वीकृत समाप्त करना।

न्यासियों के बोर्ड (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) के मैनेजिंग ट्रस्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति- न्यासियों के बोर्ड द्वारा न्यासियों के बोर्ड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को नियुक्त/नामित किया जायेगा। सम्पत्ति श्री राम जगदीश चौहान न्यासियों के बोर्ड के आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष है।

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन, बैठके, सूचना अवधि तथा कोरम-

1. संस्थापक/चेयरमैन-एक

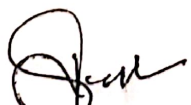
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष-एक

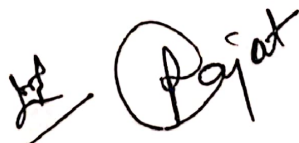
3. कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी-एक

4. संरक्षक न्यासी/पैट्रन न्यासी-दो

5. सलाहकार सदस्य/एडवाइजर मेम्बर-तीन

न्यासियों के बोर्ड की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में एक





Rajat Rajan Singh

बार होगी जिसकी सूचना सभी प्रकार के सदस्यों के 15 दिन पूर्व दी जायेगी। आवश्यक बैठक पूर्व सूचना देकर बुलाई जायेगी। बैठक का कोरम सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्य-

क. समिति द्वारा बनाया गया वार्षिक बजट तैयार करना एवं उसे स्वीकृति हेतु न्यासियों के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।

ख. न्यास के कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी रखना एवं उन्हें समय समय पर आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन देना।

ग. न्यास (ट्रस्ट) के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

घ. न्यास के संरक्षक न्यासियों, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों आजीवन सदस्यों, साधारण सदस्यों एवं सलाहकार सदस्यों की नियुक्ति एवं निस्कासन सम्बन्धी कार्य।

ड. न्यास के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु अन्य आवश्यक कार्यों का सम्पादन करना।

कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं होगा-

यदि वह

1. अशोध्य दिवालिया।
2. विकृत चिन्त व्यक्ति।
3. किसी अपराध में दोष सिद्ध व्यक्ति।

सदस्यता समाप्ति-

निम्नलिखित कारणों से किसी भी न्यासी की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया होने पर।
3. किसी मामले में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
4. न्यास के उद्देश्यों के विपरित कार्य करने पर।
5. त्याग पत्र देने पर।
6. संस्थापक ट्रस्टी की सदस्यता समाप्ति या मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी स्वतः संस्थापक न्यासी बनेंगे एवं संस्थापक न्यासी के समस्त अधिकार उन्हें स्वतः प्राप्त होंगे।

Dr. Rajat Ranjita Roy

रिक्त स्थानों की पूर्ति-

यदि न्यासियों के बोर्ड में किसी भी स्तर पर कोई रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति शेष समय के लिए अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

अदालती कार्यवाही-

न्यास के पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करने का उत्तरदायित्व कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी या अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का होगा।

न्यास ट्रस्ट को कोष-

न्यास का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक सरकारी व प्राईवेट बैंक या पोस्ट ऑफिस में न्यास के नाम खाता खोलकर रखा जायेगा। तथा संस्थापक/चेयरमैन ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से खाता संचालित किया जायेगा।

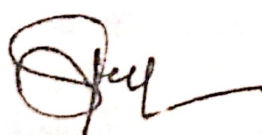
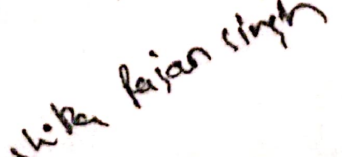
नियमों में संशोधन-

न्यास के नियमों में संशोधन का अधिकार केवल अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी के पास सुरक्षित रहेगा। यदि कुछ बढ़ाया जाना है तो वह डीड द्वारा बढ़ाया जायेगा। दोनों में से किसी एक के न रहने पर उक्त डीड एक द्वारा ही मान्य होगा।

यह कि पूर्व न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 14.07.2008ई0 को कार्यालय उपनिबन्धक तृतीय लखनऊ में बही संख्या-4 जिल्द-269 पृष्ठ 175/212 नं0-304 पर पंजीकृत है, जिसमें दर्शित समस्त नियम व शर्तें इस ट्रस्ट डीड पर समान रूप से लागू रहेगी।

न्यास का आडिट-

न्यास (ट्रस्ट) का आडिट किसी योग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा। संक्षिप्त परिचय जिनकी स्मृति में उपरोक्त ट्रस्ट (राजन एजुकेशन ट्रस्ट गठित किया गया है)-

इसा से 2500 वर्ष पूर्व जन्म लेने वाले महामानव व सम्पूर्ण विश्व में करुणा मैत्री एवं एकता का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक, विश्व में वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित धम्म की स्थापना करने वाले एवं करोड़ों लोगों को जीने की राह सिखाने वाले महा मानव भगवान गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन को अपनाने वाले यशस्वी एवं शिक्षाविद श्री राजन चौहान पुत्र स्व० राम सरन चौहान के नाम पर राजन एजुकेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है ताकि भगवान गौतम बुद्ध के बताये रास्ते पर चल कर देश की भावी पीढ़ी को सही दिशा प्रदान करते हुए वैज्ञानिक समाज की स्थापना की जा सके।

यह कि इस ब्यास विलेख में किसी भी चल-अचल सम्पत्ति को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

नमो बुद्धाय।

लखनऊ

दिनांक 07.09.2018

साक्षीगण

1. *Durgesh*
पता *Sirsa Nagar*
LKO

संस्थापक/चेयरमैन

श्रीमती पुष्पावती देवी चौहान
उर्फ पुष्पलता सिंह

अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी

2. *Rama Kumar*
पता- *Raza Khasi*
Razam LKO

राम जगदीश चौहान
उर्फ राजन चौहान

कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर ट्रस्टी

Rajat
रजत राजन सिंह

सलाहकार सदस्य/एडवाईजर ट्रस्टी

Rashika Rajan Singh
कु० राशिका राजन सिंह

टाइप कर्ता

मसविदाकर्ता

Sanjay Kumar Srivastava

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 545 के पृष्ठ 205 से 236 तक क्रमांक
615 पर दिनांक 07/09/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राकेश त्रिपाठी (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर तृतीय
लखनऊ
07/09/2018

प्रिंट करें